बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

सं0–03/विविध (सिलेबस आई0डी0टी0आर0)–10/2017 परि0 5118 **दिनांक–** 06/08/18

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 24 से 32 ड्राइविंग स्कूल और स्थापन से संबंधित है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 31(क)(2) में उल्लेखित है कि राज्य परिवहन उपक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा कायम की गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे अन्य स्थापन जिनके पास चालकों को प्रशिक्षण देनें की सुविधाएँ है, प्ररूप 5 में इस शर्त पर चालन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होगें कि इन स्कूलों में दिया गया प्रशिक्षण नियम 31 में निर्दिष्ट पाठ्य विवरण के अनुसार होगा।

CMVR 1989 में विनिर्दिष्ट नियम के आलोक में राज्य में सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने तथा वाहन चालकों की दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से पी0पी0पी0 मोड पर बिहार के औरंगाबाद जिले में चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान की स्थापना की गई है।

चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान औरंगाबाद (बिहार) में विभिन्न प्रकार के वाहनों के परिचालन से संबंधित चलाए जा रहे प्रशिक्षणों के पाठ्यक्रमों हेतु निम्न शुल्क का निर्धारण किया गया है।

क्र0	कोर्स	योग्यता	अवधि	शुल्क (GST को छोड़कर)
1	हल्के वाहन सीखने का प्रशिक्षण	(क) आयु 18 वर्ष (ख) हल्के वाहन सीखने का लर्नर लाईसेंस	21 दिन	3500/–
2	हल्के वाहन सीखने का एडवांस कोर्स	हल्के वाहन का स्थायी लाईसेंस अत्याधुनिक प्रशिक्षण	10 दिन	2000/–
3	हल्के वाहन (व्यवसायिक) सीखने का प्रशिक्षण	(क) हल्के वाहन चलाने का प्राईवेट लाईसेंस (ख) हल्के वाहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव (ग) हल्के वाहन (व्यवसायिक) लाईसेंस	30 दिन	5500/–
4	भारी वाहन सीखने का प्रशिक्षण	(क) हल्के वाहन (व्यवसायिक) लाईसेंस (ख) हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव (ग) भारी वाहन व्यवसायिक लर्नर लाईसेंस	30 दिन	7500/–
5	रिफ्रेसर प्रशिक्षण हल्के एवं भारी व्यवसायिक वाहन लाईसेंस धारक हेतु	हल्के एवं भारी (व्यवसायिक) का स्थाई लाईसेंस	01 दिन	400/–

6	रिफ्रेशर प्रशिक्षण ज्वलनशील पदार्थ लाईसेंस धारक हेतु	संबंधित श्रेणी का वैध लाईसेंस	03 दिन	1000/–
7	अन्य ड्राईविंग स्कूल के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	मान्य प्रशिक्षक लाईसेंस	06 दिन	5000/–

चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान (IDTR) औरंगाबाद परिसर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासन एवं भोजन के लिए शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार है :–

S.N.	Additional Charges Per Trainee Per Day	Charges (in Rs. per day)
1	Boarding Charges per day + breakfast	150/-
2.a	Lunch, dinner, 2 Tea (1 Before Lunch and 1 in evening) with 2 light Snacks (1 Before Lunch and 1 in evening)	250/-
2.b	Lunch, 2 Tea (1 Before Lunch and 1 in evening) with 2 light Snacks (1 Before Lunch and 1 in evening)	150/-

राज्यपाल के आदेश से,

उप सचिव

(विनय कुमार राय)

ज्ञापांक–03/विविध (सिलेबस–आई0डी0टी0आर0)–10/2017 परि05/18 पटना, दिनांक–06/08/18

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ/माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आई0 ,टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

(विनय कुमार राय)

ज्ञापांक–03/विविध (सिलेबस–आई0डी0टी0आर0)–10/2017 परि05/18 पटना, दिनांक– 06/08/18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

(विनय कुमार राय)